जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर – 831001

(झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 188,जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम की कंडिका 7.1 एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची का संकल्प ज्ञापांक-06/न0वि0(TCPO)/भ0उ0वि0-06/2016-5356 दिनांक-24.09.2016 के आलोक में स्वीकृत)

बिल्डींग परमिट संख्या 28854 दिनांक 31/05/2017

सेवा में,

मेसर्स आदर्श प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स,
प्लॉट सं0–4689, खाता नं0–23,
थाना सं0–1200, मौजा–मोहरदा,
जमशेदपुर।

महाशय,

प्लॉट सं0–4689, खाता नं0–23, थाना सं0–1200, मौजा–मोहरदा, जमशेदपुर पर आपके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में ब्लॉक ए0 Basement for Parking + Ground Floor + 9th Floor, ईकाई–80 अदद, ऊँचाई–29.98 मी0 तथा ब्लॉक–बी0 Basement for Parking + Ground Floor + 4th Floor, ईकाई–30 अदद, ऊँचाई–16.01 मी0, इस प्रकार कुल 110 अदद आवसीय इकाई के आवासीय भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तो पर दी जाती है :–

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाए जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या एवं निर्माण क्षेत्र (Bulitup Area)में वृद्धि नहीं होगी।
3. भवन प्लान में सेट बैक एवं ड्राइव वे के लिये दिखायी गयी खूली जगह एवं अन्य खूली जगह में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।
4. निर्माण की गुणवत्ता झारखंड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक के विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माणकार्य एवं सरंचना के सही रूपांकण अद्यतन भारतीय मानकों (Indian Standered) के साथ–साथ भूकम्प रोधी मानक के आधार पर किया जाय। निर्माण कार्य सरंचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्ता पर होगा।
5. निर्माणकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी अभियन्ता को निर्माण कार्य आरम्भ होने की सूचना विशेषकर कर प्लीन्थ/भूमि तल निर्माण हो जाने के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को देनी होगी एवं दस दिनों के अन्दर इसकी जाँच कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
6. निर्माणकर्ता को विधुत आपूर्ति की व्यवस्था के साथ–साथ ट्रान्सफरमर की व्यवस्था करनी होगी। विधुत आपूर्ति की वैकल्पिक रूप से पर्याप्त क्षमता वाला ध्वनी वा प्रदूषण रहित जनरेटर लगाना होगा।
7. जल उपलब्धता के लिये डीप बोरिंग नहीं करना होगा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी। आवश्यक क्षमता का सेप्टिक टैंक व सोक पीट का निर्माण करना होगा।
8. अग्नि सुरक्षा के लिए पर्याप्त क्षमता के डी0सी0पी0 का प्रावधान करना होगा।
9. Rain water Harvestingके साथ Ground water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50%फलाई ऐश ब्रीक्स (Fly Ash Bricks) का प्रयोग करना होगा।
11. चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन–उपनियम के अनुसार किया जायेगा। विधुत तड़ित चालक (Lightning Conductor) की व्यवस्था मानक के अनुसार निश्चित रूप से करनी होगी।
12. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड (सूचना पट्ट) लगाना होगा, जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम एवं पता, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा स्वीकृत भवन प्लान का परमिट संख्या कुल स्वीकृत तल एवं स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा।
13. स्वीकृत भवन प्लान की वैधता तीन वर्ष तक रहेगी तथा जमीन के आवासीय उपयोग रकवा सक्षम पदाधिकारी से संशोधित कराना होगा। इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा करना होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ जमषेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को विहित प्रपत्र में सूचना देनी होगी तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना Occupancyनहीं दी जा सकेगी।
14. अक्षेस के प्लानिंग स्टेनडर्ड एवं बिल्डिंग बाइलज 2007 में वर्णित अन्य प्रभावी कंडिकाओं का पालन करना होगा। भवन निर्माण के दौरान जमशेदपुर अक्षेस द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2011 में वर्णित संबंधित कंडिकाओं का पूर्णतः पालन करना होगा।
16. भवन प्लान की स्वीकृति से प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/सी0एन0टी0 खाता की भूमि/किसी अन्य की टाइटिल वाली भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जायेगा, अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
17. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन नहीं किये जाने पर बिल्डिंग परमिट को रद्द करने का अधिकार जमशेदपुर अक्षेस को होगा।

(हस्ताक्षर) 2/02/2017	(हस्ताक्षर) 4.2.17	(हस्ताक्षर)
कनीय अभियन्ता, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर।	सहायक अभियन्ता, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर।	विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर।

Scanned with CamScanner

जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय
जमशेदपुर — 831001

पत्रांक 802
दिनांक 25/04/2020

प्रेषित,

मेसर्स आदर्श प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स,
प्लॉट सं0—4689, खाता सं0—23,
थाना सं0—1200, मौजा—मोहरदा,
जमशेदपुर।

विषय :— भवन परमिट सं0—28854 दिनांक—31.05.2017 के अवधि विस्तार के संबंध में।

मेसर्स आदर्श प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स, प्लॉट सं0—4689, खाता सं0—23, थाना सं0—1200, मौजा—मोहरदा, जमशेदपुर पर इस कार्यालय के भवन परमिट सं0—28854 दिनांक—31.05.2017 द्वारा अनुमोदित भवन प्लान की वैध अवधि परमिट में वर्णित शर्तों को यथावत रखते हुये दिनांक—30.05.2020 से अगले तीन वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है।

25/04/2020

विशेष पदाधिकारी,
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर।
25/04/2020

Scanned with CamScanner